राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (69)ग्राविवि/ग्रुप–5/ई.आ./विविध/पार्ट–1/2014–15 जयपुर, दिनांक 03 फरवरी, 2020

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत अन्य योजनाओं में पात्र लाभार्थियो को कनर्वेजेन्स के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 12.5.17, 9.8.19, 5.9.19 एवं 4.10.19,

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के कियान्वयन का फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के बिन्दू संख्या 8 में योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

उक्त क्रम में योजनान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभार्थियो के विशेष कैम्प आयोजित कर निम्न योजनाओ के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना 90 अकुशल मानव दिवसों की मस्टररोल जारी करना एवं अपना खेत अपना काम के तहत कैटल शेड, बकरी शेड, भूमि समतलीकरण, चैक डेम आदि की स्वीकृतियां जारी करना।
2. महात्मा गांधी नरेगा से एसबीएम/मनरेगा से लाभान्वित नहीं लेकिन पात्र लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय की स्वीकृति जारी करना।
3. जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग द्वारा कियान्वित NRDWP के प्रावधानानुसार स्वच्छ पेजयल सुविधा उपलब्ध कराना।
4. सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन।
5. उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन।
6. श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों की योजनाओं का लाभ।

उक्त संबंध में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण में भी कनर्वेजेन्स के तहत दिये गये लाभों के संबंध में इंगित किया है। अतः पुनः निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लाभार्थियो को मूलभूत सुविधाएं उपलपब्ध कराये जाने हेतु अन्य योजनाओं से कनर्वेजेन्स के तहत पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि